राजस्व पर्षद, बिहार।

सं0 सं0– 1/स्था0– 04/2017

अल्प निविदा आमंत्रण हेतु आम सूचना

राजस्व पर्षद, बिहार के व्यवहारार्थ विविध लेखन समाग्रियों एवं अन्य सामग्री/उपस्कर के क्रय हेतु प्रतिष्ठानों से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्त्तें निम्नवत हैः–

1. निविदादाताओं को अपने लेटर पैड पर मुहरबंद सील लिफाफा में निविदा देनी होगी। मुख्य सील बंद लिफाफा में तकनीकि निविदा एवं वित्तीय निविदा का अलग–अलग मुहरबंद लिफाफा देना अनिवार्य होगा। मुख्य सील बंद लिफाफा पर "लेखन सामग्री हेतु निविदा" बड़े–बड़े साफ अक्षरों में स्पष्ट रूप से अंकित रहना आवश्यक है। निविदा दिनांक–19.05.2017 को 3:00 बजे अपराह्न तक राजस्व पर्षद कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

2. संबंधित फर्म को वाणिज्य कर विभाग में निबंधित होना अनिवार्य है। निविदा के साथ फर्म, प्रतिष्ठान का वाणिज्यकर निबंधन प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति, विगत तीन वर्षों का अद्यतन बिक्री कर/आयकर चुकता प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति, विगत तीन वर्षो में सरकारी कार्यालय को सामग्री आपूर्त्ति करने के कागजात, आपूर्त्ति आदेश आदि तथा निविदादाता के काली सूची में दर्ज नहीं रहने का शपथ पत्र मूल में संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा प्राप्त निविदा रद्द समझी जाएगी। निविदा के साथ पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3. निविदा के साथ कुल रू0 50,000/– (पचास हजार रूपये) मात्र का डिमांड ड्राफ्ट (सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार के नाम से) संलग्न करना अनिवार्य है।

4. तकनीकि निविदा में आपूरित की जाने वाली सामग्री का Specification अंकित करते हुए कम्पनी/फर्म के नाम सहित नमूना भी देना अनिवार्य होगा। सामग्रियाँ ख्याति प्राप्त (स्टैण्डर्ड) फर्मो की होनी चाहिए। सामग्रियों की सूची राजस्व पर्षद कार्यालय, पुराना सचिवालय, बिहार से किसी भी कार्य दिवस को हाथों–हाथ प्राप्त किया जा सकता है। उक्त सूची राजस्व पर्षद के बेबसाईट www.boardofrevenue.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

5. वित्तीय निविदा में सामग्री–वार दर अंकित करना अनिवार्य होगा। निविदा का दर मार्च–2018 तक के लिए मान्य होगा।

6. प्राप्त निविदाओं पर राजस्व पर्षद कार्यालय के निविदा समिति द्वारा विचार किया जाएगा। निविदा खोलने की तिथि/समय की जानकारी पत्र/ई–मेल से निविदादाता को दिया जाएगा। जिसे निविदा खोलने के समय निविदादाता/प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

7. निविदा समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकि निविदा खोली जाएगी एवं तकनीकि रूप से सफल निविदादाता का वित्तीय निविदा खोला जाएगा। निविदा पर राजस्व पर्षद/क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।

8. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता को कार्यालय आवश्यकता के आधार पर क्रयादेश निर्गत किया जाएगा तथा उन्हें निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत आपूर्त्ति करना अनिवार्य होगा। निविदा में अंकित दर के अतिरिक्त कोई अन्य राशि, कर, परिवहन व्यय देय नहीं होगा।

9. आपूरित सामग्रियों के राशि का भुगतान आवंटन के अभाव में विलंबित हो सकता है, परन्तु वैसी स्थिति में आपूर्तिकर्त्ता को आपूर्ति बंद नहीं करनी होगी।

10. सामग्रियों की आपूर्त्ति आपूर्त्ति आदेश में उल्लेखित निर्धारित मापदण्ड/गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुरूप करनी होगी। ऐसा नहीं होने पर अपव्यय की कटौती उनके विपत्रों से की जाएगी।

11. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार राजस्व पर्षद, बिहार को पूर्णतः सुरक्षित है।

12. किसी भी मामले का न्यायिक क्षेत्राधिकार, मा0 पटना उच्च न्यायालय के अधीन होगा।

Rajesh.
27/4/17
सचिव
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

27/04/17